



प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ

दिनांक:- 22-07-2022

थाना बाबूगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 265/22 धारा 307, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 265/22 धारा 307,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबूगढ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गजराज सिंह पुत्र जागर सिंह निवासी ग्राम बछलौता थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 302ए/1986 धारा 302 भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 134/1987 धारा 307 भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
3. मु0अ0सं0 67/05 धारा 302,307 भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
4. मु0अ0सं0 68/05 धारा 25/27 शस्त्र अधि0 थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय एक खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।